जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना स्योहारा   दिनॉक 17.04.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 148/2024 धारा 341/323/504/506 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

<u>संक्षिप्त विवरण –</u>

दिनांक 12.04.2024 को वादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार सिंह निवासी ग्राम सुरानंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि ग्राम जयरामपुर गन्ना सेन्टर के पास वादी के पुत्र सत्यम कुमार के साथ 04 अज्ञात युवको द्वारा मारपीट की गई तथा उसका एक मोबाईल फोन व 5,000/- रूपये की नगदी छीनकर ले गये। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 148/24 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी जांच में यह तथ्य प्रकाश में आये कि सत्यम उपरोक्त के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान सत्यम का मोबाईल फोन मौके पर ही गिर गया था जोकि मिल गया था तथा 5000 रूपये छीनने की घटना का होना नही पाया गया। प्रकरण मात्र मारपीट का होना पाया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम खाकू नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.मनीष पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 3.शाने आलम पुत्र उस्मान निवासी ग्राम बल्ला नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 4.मनदीप पुत्र सतपाल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर धाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये। अभियोग से धारा 394 भादवि का लोप किया गया तथा धारा 341/323/504/506 भादवि की वृद्धि की गयी।

<u>कार्यवाही –</u>

जनपद मे अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे आज दिनांक 17.04.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 148/2024 धारा 341/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम खाकू नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.मनीष पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 3.शाने आलम पुत्र उस्मान निवासी ग्राम बल्ला नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम खाकू नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.मनीष पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.शाने आलम पुत्र उस्मान निवासी ग्राम बल्ला नगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0का0 724 ओमवीर सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3. का0 332 छोटे लाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

4. का0 610 रवि कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ **दिनांक 17.04.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.04.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त धन्ना सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी ग्राम सलावतनगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

धन्ना सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी ग्राम सलावतनगर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि0:-

1.मु0अ0सं0 401/99 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 136/04 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3.मु0अ0सं0 1157/04 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. का0 2453 विकास खोखर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक –17.04.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 173/24 धारा 452/354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

<u>संक्षिप्त विवरण –</u>

दिनांक 16.04.2024 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अनीस पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला सराय रफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ घर मे घुसकर छेड़छाड़ की गयी तथा धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 173/24 धारा 452/354/506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम बनाम अनीस उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

<u>कार्यवाही –</u>

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 173/24 धारा 452/354/506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त अनीस पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला सराय रफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

अनीस पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला सराय रफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1.उ0नि0 सिनोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 1244 अनुज बाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 17.04.2024**

थाना नगीना पुलिस ने चिकित्सक के घर हुई चोरी की घटना का 36 घंटे मे किया सफल अनावरण, घटना मे शामिल अभियुक्त को चोरी की गयी लाईसेंसी रिवाल्वर, नकदी, सफेद/पीली धातू के आभूषण (अनुमानित कीमत करीब 03 लाख रुपये) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.04.2024 को वादी डॉ0 अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवनाथ गुप्ता निवासी मौ0 लालसराय निकट गन्ना सोसाइटी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध वादी के घर के ताले तोडकर घर मे रखा एक लाईसेंसी रिवाल्वर 32 बोर, 50000/- रुपये की नकदी, दो सोने की अंगूठी, 06 चांदी के सिक्के चोरी कर ले जाने के संबंध मे मु0अ0सं0 108/2024 धारा 457/380 भा0दं0वि0 पंजीकृत पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही का विवरण –

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान कस्बा नगीना में स्थापित विभिन्न सीटीटीवी कैमरों की फुटेज चैक की गयी तो इस दौरान घटना स्थल के आसपास के कैमरों मे दिनांक 13/14.04.2024 की रात्रि मे एक व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में वादी के घर की छत की ओर जाता व कुछ समय बाद आता दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज/साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना में अभियुक्त अवनीश कुमार पुत्र उत्तम सिंह निवासी ग्राम रावल हेडी खजूरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

आज दिनांक 17.04.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त अवनीश कुमार पुत्र उत्तम सिंह निवासी ग्राम रावल हेडी खजूरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी एक लाईसेंसी रिवाल्वर, 7080/- रुपये नकद, सफेद धातु की पत्तानुमा प्लेट, सफेद धातु के कुल 07 सिक्के, एक लाल रंग व पीली धातु की मूर्ति, एक कंठी माला सफेद धातू, तीन कंगन पीली धातू, कान का टॉप्स पीली धातू, 5.99 किलोग्राम के सिक्के (एक व दो रुपये), काले/नीले रंग का बैग व घर के ताले तोडने मे प्रयोग किया गया एक सब्बल बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता के यहाँ कई बार दवा लेने जा चुका हूँ तथा डॉक्टर साहब के बारे मे अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ दिन पूर्व मै दवा लेने के लिये डॉ0 अशोक कुमार गुप्ता के क्लीनिक पर गया जहां पर मुझे ज्ञात हुआ कि डॉक्टर साहब अपने बेटे के पास जौधपुर (राजस्थान) गये हैं तथा उन्हें आने मे काफी समय लगेगा। डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता के मकान के बराबर मे सन्तोष लाला जी की एक लॉज है, जिसमे किराये पर कमरे मिलते हैं और इस लॉज की छत डाक्टर साहब के घर से मिलती है। मैने उस लॉज के मैनेजर से 400/- रुपये मे कमरा किराये पर लिया और दिनांक 13.04.2024 की रात्रि में छत के रास्ते से डॉ0 अशोक कुमार गुप्ता के मकान मे छत के रास्ते से प्रवेश कर सब्बल से मकान व अलमारी के ताले तोडकर सुनियोजित तरीके से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अवनीश कुमार पुत्र उत्तम सिंह निवासी ग्राम रावल हेडी खजूरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

1-एक रिवाल्वर रंग काला 32 MK-1 SAF KANPUR 2000 संख्या B – 6920
2-एक आरती करने का चांदी का पत्तानुमा प्लेट
3-सफेद धातु के 07 सिक्के
4-एक लाल रंग की पीली धातु की मूर्ति व एक कंठी माला सफेद धातु
5-तीन कंगन पीली धातु व एक टॉप्स पीली धातु
6-7080/- रुपये नकद
7-एक व दो रुपये के सिक्के कुल वजन 5.990 किलोग्राम
8-घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल हीरो सुपर स्पलेण्डर रंग लाल काला रजिस्ट्रेशन नम्बर UP20AS0229
9-ताला तोडने हेतु प्रयोग किया गया एक सब्बल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-श्री नरेश कुमार (निरीक्षक अपराध) थाना नगीना, जनपद बिजनौर
2-श्री दीपक कुमार (वरिष्ठ उप निरीक्षक) थाना नगीना, जनपद बिजनौर
3-है0कां0 730 विपिन कुमार थाना नगीना, जनपद बिजनौर
4-है0कां0 638 अंकित कुमार थाना नगीना, जनपद बिजनौर
5-कां0 1580 ललित कुमार थाना नगीना, जनपद बिजनौर
6-कां0 1101 कौशलेन्द्र थाना नगीना, जनपद बिजनौर